

सेवा * संस्कार * संगठन

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्

ISO 9001:2015



शाखा परिषदों के लिए स्वीकृत
विधान एवं नियमोपनियम
2018

नूतन चिन्तन नया विकास, युवकों में जागे विश्वास



अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्

स्थापना: 17 सितम्बर 1964, बीकानेर

संयोजक

1964-66	स्व. माणकचंदजी बोथरा, बीकानेर
1966-68	स्व. चन्दनमल सिंघी 'चांद', श्रीडूंगरगढ़
1968-69	स्व. सोवनराज बोहरा, चेन्नई
1969-71	श्री मनोहर छाजेड़ 'भारतीय', बेंगलोर
1971-72	स्व. बच्छराज दूगड़, तेजपुर

अध्यक्ष एवं महामंत्री

1972-1973	स्व. बच्छराजजी दूगड़, तेजपुर	स्व. विजयसिंहजी कोठारी, लाडनू
1973-1976	स्व. धरमचन्दजी चोपड़ा, श्रीकरणपुर	स्व. विजयसिंहजी कोठारी, लाडनू
1976-1979	श्री कन्हैयालाल छाजेड़, श्रीडूंगरगढ़	श्री पदमचन्द पटावरी, मोमासर
1979-1982	स्व. विजयसिंहजी कोठारी, लाडनू	श्री पदमचन्द पटावरी, मोमासर
1982-1985	श्री पदमचन्द पटावरी, मोमासर	श्री सुभाष सुराणा, ईडवा
1985-1988	श्री पदमचन्द पटावरी, मोमासर	श्री भंवरलाल डागा, गंगाशहर
1988-1991	श्री पन्नालाल टाटिया, चेन्नई	श्री ईश्वरचन्द बैद, नोखा
1991-1994	श्री ईश्वरचन्द बैद, नोखा	श्री अशोक संचेती, गुवाहाटी
1994-1997	श्री किशन डागलिय, मुम्बई	स्व. प्रकाशजी बोकड़िया, चेन्नई
1997-2000	श्री सुखराज सेठिया, दिल्ली	श्री पन्नालाल पुगलिया, जयपुर
2000-2003	श्री पन्नालाल पुगलिया, जयपुर	श्री डालमचन्द बैद, दिल्ली
2003-2005	श्री दीपचन्द नाहर, बेंगलोर	श्री संजय खटेड़, दिल्ली
2005-2007	श्री रतन दूगड़, कोलकाता	श्री अरूण संचेती, दिल्ली
2007-2009	श्री मर्यादा कुमार कोठारी, जोधपुर	श्री गौतमचन्द डागा, चेन्नई
2009-2011	श्री गौतमचन्द डागा, चेन्नई	श्री रमेश सुतरिया, मुम्बई
2011-2013	श्री संजय खटेड़, दिल्ली	श्री प्रफुल्ल बैताला, कटक
2013-2015	श्री अविनाश नाहर, जयपुर	श्री हनुमानचंद लूंकड़, सिंधनुर
2015-2017	श्री बी. सी. भलावत, मुम्बई	श्री विमल कटारिया, बेंगलोर
2017-2019	श्री विमल कटारिया, बेंगलोर	श्री संदीप कोठारी, मुम्बई

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् शाखा परिषद् संविधान

1. नाम :-

इस संस्था का नाम तेरापंथ युवक परिषद्,..... रहेगा एवं इस विधान में आगे तेयुप,..... के नाम से भी उल्लेखित किया जा सकेगा।

2. कार्यालय :-

इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय है तथा इसका कार्य क्षेत्राधिकार उनके परिसीमन क्षेत्र तक सीमित रहेगा। क्षेत्राधिकार के वर्गीकरण पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। आवश्यक होने पर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने परिसीमन क्षेत्र के अंतर्गत अन्य कार्यालय भी खोले जा सकेंगे।

3. संगठन एवं नियंत्रण :-

- (क) यह संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की शाखा परिषद् के रूप में कार्य करेगी एवं उनके विधान एवं नियमोपनियम से बाध्य होगी।
(ख) अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् को अभातेयुप के नाम से भी सम्बोधित किया जा सकेगा।

4. उद्देश्य :-

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- (क) समाज के युवकों एवं किशोरों को संगठित एवं संस्कारित करना।
(ख) समाज के युवकों एवं किशोरों में परस्पर सौहार्द, स्नेह एवं एकसूत्रता की भावना का निर्माण व विकास करना।
(ग) समाज के युवकों एवं किशोरों में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास की प्रवृत्तियों का संचालन करना।
(घ) सम सामयिक समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान करना।
(ङ) जनसेवा की विभिन्न प्रकृतियों का संचालन करना।
(च) सत्साहित्य का प्रचार-प्रसार करना।
(छ) समाज के युवकों एवं किशोरों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
(ज) समाज के युवकों एवं किशोरों के सर्वांगीण विकास एवं जनोपयोगी कार्यों के लिये सामुदायिक भवन, छात्रावास, चल-अचल चिकित्सा केन्द्र,

डायग्नोस्टिक सेन्टर, धर्मशाला, स्कूल एवं कॉलेज आदि के लिये भवन निर्माण करवाना एवं उक्त गतिविधियों को संचालित करना एवं अन्य किसी भी प्रकार की जनहितकारी प्रवृत्ति का संचालन करना।

(झ) विभिन्न प्रकार के रोग निदान परामर्श, रक्तदान एवं अन्य जनोपयोगी शिविरों का आयोजन करना एवं उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समाज में जनसेवा की भावना का निर्माण करना।

5. उद्घोष :-

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् का उद्घोष ही शाखा परिषद् का उद्घोष होगा।

6. प्रतीक :-

(क) अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् का प्रतीक ही शाखा परिषद् का प्रतीक होगा।

(ख) प्रतीक चिन्ह का प्रयोग केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शाखा परिषद् ही कर सकती है।

नियमोपनियम

1. परिभाषाएँ :-

सन्दर्भ के द्वारा अन्य भावना के अभिव्यक्त न होने पर निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार होगा।

(क) 'केन्द्रीय परिषद्' से अभिप्राय अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् (अभातेयुप) से होगा।

(ख) 'माह' से अभिप्राय अंग्रेजी के कैलेण्डर का महीना समझा जायेगा।

(ग) 'वर्ष' से अभिप्राय 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगा तथापि भारत सरकार द्वारा भविष्य में वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की स्थिति में कार्यसमिति द्वारा उसी अनुरूप किये गये परिवर्तन से होगा।

(घ) 'कार्यसमिति' से अभिप्राय तेरापंथ युवक परिषद्, की कार्यसमिति से होगा।

(ङ) 'साधारण सदन' से अभिप्राय तेरापंथ युवक परिषद् के साधारण सदन से होगा।

(च) 'युवक' से अभिप्राय 21 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष तक की उम्र के युवक से

- होगा।
- (छ) 'तेरापंथी' से अभिप्राय तेरापंथ धर्मसंघ में आस्था व आचार्य भिक्षु तथा उनके उत्तरवर्ती आचार्यों को गुरु मानने वालों से होगा।
- (ज) 'आजीवन सदस्य' से अभिप्राय 45 वर्ष की आयु सीमा तक के युवक द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान करने के बाद प्राप्त आजीवन सदस्यता से होगा। 45 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में वह युवक आगामी वार्षिक साधारण सभा तक ही सदस्य रहेगा।
- (झ) 'शाखा परिषद्' से अभिप्राय अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् द्वारा पंजीकृत स्थानीय तेरापंथ युवक परिषद्, से होगा।
- (ञ) 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' से अभिप्राय अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् के अध्यक्ष से होगा।
- (ट) 'शाखा प्रभारी' से अभिप्राय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य/क्षेत्रीय सहयोगी से होगा।
- (ठ) 'पर्यवेक्षक' से अभिप्राय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति से होगा।
- (ड) 'किशोर' से अभिप्राय 15 वर्ष से अधिक एवं 21 वर्ष तक की उम्र के किशोर से होगा।
- (ढ) 'कार्यकाल' से अभिप्राय अध्यक्षीय कार्यकाल से होगा जिसकी पूर्ण समय सीमा न्यूनतम 11 महीने होगी।

2. सदस्यता :-

- (क) कोई भी तेरापंथी युवक, जो अपने मूल निवास के अलावा अपने निवास स्थल के वर्तमान पते में अवस्थित शाखा परिषद् का सदस्य बन सकता है। इस हेतु निर्धारित फार्म में सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा और आवश्यक शुल्क जमा कराना होगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद कार्यसमिति उसे स्वीकृति देगी। कार्यसमिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

शाखा परिषदों के परिसीमन के पश्चात वर्तमान में संगठित शाखा परिषद् के सदस्य निवास स्थल आधार कार्ड क्षेत्र के अनुसार स्वतः ही नवगठित शाखा परिषद् के सदस्य होंगे। किसी क्षेत्र में यदि शाखा परिषद् का विस्तार होता है तो उस स्थिति में मूल परिषद् की सदस्यता वर्तमान वर्ष अर्थात् 15 जून के पश्चात अथवा वार्षिक साधारण सदन के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

(ख) शाखा परिषदें अपने सभी सदस्यों का नाम, पता, जन्मतिथि, सदस्यता प्राप्त करने की तिथि इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेजों का साक्ष्यों के आधार पर डाटा एकत्रित करेगी तथा समस्त डाटा को अभातेयुप के साथ व्यवस्थित रूप से साझा करेगी। अभातेयुप समय-समय पर शाखा परिषदों को निर्देशित कर सदस्यता से सम्बन्धित सभी दस्तावेज अपने पास मंगवा सकती है।

3. सदस्यता शुल्क :-

(क) आजीवन सदस्यता शुल्क न्यूनतम 500 व अधिकतम 5000 रुपये होगा।
(ख) शाखा परिषद् के विस्तार होने की स्थिति में सदस्य द्वारा दिया गया शुल्क पुनः सदस्य को देय नहीं होगा एवं नवगठित शाखा परिषद् में सदस्य बनने के लिए पुनः शुल्क नहीं देना होगा। वह स्वतः ही उस नई शाखा का सदस्य होगा।

4. सदस्यों के अधिकार :-

(क) सदस्यों को साधारण सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा।
(ख) साधारण सदन की कार्यवाही में प्रत्येक सदस्य को मत (वोट) देने का अधिकार होगा।
(ग) सदस्यों को साधारण सदन में संस्था से सम्बंधित कोई प्रस्ताव लाने का अधिकार होगा। यदि सदस्य सदन में विचारार्थ कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो इसकी सूचना लिखित में सभा प्रारंभ होने के कम से कम 48 घण्टे पूर्व अध्यक्ष या मंत्री को देनी होगी। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के समय भी प्रस्ताव रखा जा सकेगा। किन्तु प्रस्ताव आगामी साधारण सदन की कार्य सूची में रख कर ही पारित कराया जा सकता है।
प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को प्रस्ताव लाने हेतु 11 सदस्यों अथवा कुल सदस्य संख्या का 5 प्रतिशत जो भी कम होगा, उनकी सहमति आवश्यक होगी।

5. सदस्यों का विमोचन :-

निम्न में से किसी एक या अधिक कारणों से सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी।

(क) शाखा परिषद् विरोधी कार्य करने की अवस्था में साधारण सदन द्वारा निष्कासित कर दिए जाने पर एवं अभातेयुप द्वारा अनुमोदित करने पर।
(ख) सदस्य द्वारा स्वेच्छा से शाखा परिषद् की सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।
(ग) सदस्य/सदस्यों द्वारा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/पंचमण्डल सदस्य के निर्णय की अवहेलना करने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर शाखा

- परिषद् द्वारा उक्त सदस्य/सदस्यों की सदस्यता निरस्त किए जाने पर।
- (घ) मूल निवास तथा दूसरी शाखा परिषद् के अलावा किसी अन्य तीसरी शाखा परिषद् का सदस्य बनने पर दूसरी शाखा परिषद् वाली सदस्यता स्वयंमेव निरस्त/निलम्बित होने पर।
- (ङ) यदि किसी क्षेत्र में शाखा परिषद् का विस्तार होने पर नई शाखा परिषद् में सदस्य बनने पर मूल शाखा परिषद् में भी वर्तमान सत्र की वार्षिक साधारण सदन तक सदस्यता वैध मानी जाएगी।
- (च) 45 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त कर लेने पर। तथापि 45 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में वह युवक आगामी वार्षिक साधारण सभा तक सदस्य रहेगा।
- (छ) सदस्य की मृत्यु होने पर।

6. साधारण सदन :-

शाखा परिषद् के सदस्यों की बैठक साधारण सदन कहलायेगी। साधारण सदन के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- (क) शाखा परिषद् के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने हेतु प्रस्ताव पास करना।
- (ख) हिसाब परीक्षक द्वारा परीक्षित या अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित आय-व्यय तथा संतुलन पत्रक को स्वीकृत करना।
- (ग) वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट को यथावत अथवा संशोधन के साथ स्वीकार करना।
- (घ) शाखा परिषद् के आगामी वर्ष के लिए हिसाब परीक्षक या अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
- (ङ) आगामी कार्यकाल के लिये अध्यक्ष का चुनाव करना।
- (च) अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आने पर निर्णय करना।
- (छ) सदन में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना व निर्णय करना।
- (ज) शाखा परिषद् से सम्बंधित समस्त दस्तावेज नव निर्वाचित अध्यक्ष को सूचीबद्ध रूप से सौंपना।
- (झ) शाखा परिषद् की कार्यसमिति द्वारा विधान में संशोधन हेतु की गयी अनुशंसा पर अभातेयुप से मार्गदर्शन एवं अनुमति प्राप्त कर साधारण सभा बैठक आयोजित कर निर्णय करना होगा।
- (त्र) शाखा परिषद् की कार्यसमिति की अनुशंसा पर किसी विशेष उद्देश्य के लिये कोष का निर्माण करना एवं आवश्यक होने पर अभातेयुप से स्वीकृति प्राप्त कर साधारण सभा आयोजित कर अलग न्यास बनाना।

7. साधारण सदन की कार्य प्रणाली :-

- (क) साधारण सदन की बैठक की सूचना पत्र सम्प्रेषण की तिथि तथा साधारण सदन की बैठक की तिथि को छोड़कर कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी। सूचना में बैठक या अधिवेशन की तारीख, स्थान, समय और कार्यसूची का उल्लेख होगा। कार्यतम उपस्थिति (कोरम) के अभाव में स्थगित बैठक उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात पूर्व सूचना के अनुसार हो सकेगी।
- (ख) साधारण सदन की बैठक की सूचना शाखा परिषद् कार्यालय के सूचना पट्ट पर लिखकर अथवा लिखित रूप से डाक, कोरियर या अन्य माध्यम से सदस्यों को प्रेषित करनी होगी। सूचना देरी से मिलने या नहीं मिलने के कारण बैठक व उसमें हुई कार्यवाही तथा स्वीकृत/पारित प्रस्ताव अमान्य नहीं समझे जायेंगे।
- (ग) साधारण सदन की वार्षिक बैठक या अधिवेशन मई माह (15 मई से 15 जून) के भीतर बुलाना आवश्यक होगा एवं चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। 15 जून तक चुनाव नहीं कराने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिखित निर्देश पर स्थानीय परिषद् प्रभारी कार्यभार लेकर अन्तरिम व्यवस्था करेगा तथा 30 जून तक चुनाव सम्पन्न कराएगा। किसी कारणवश 30 जून तक परिषद् प्रभारी इस कार्य को सम्पन्न नहीं करवा पाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 21 दिनों के अंदर सुयोग्य व्यक्ति को आगामी सत्र के लिए सम्बंधित शाखा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त स्थानीय अध्यक्ष के अधिकार/कर्तव्य/दायित्व साधारण सभा द्वारा चयनित अध्यक्ष के समान होंगे।
- (घ) जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो साधारण सदन की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे।
- (ङ) साधारण सदन की दो बैठकों के बीच कम से कम साठ दिन का अन्तराल आवश्यक होगा।
- (च) यदि शाखा परिषद् के 1/5 भाग सदस्य लिखित में प्रार्थना पत्र दे तो ऐसे प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के अधिकतम 10 (दस) दिनों के भीतर साधारण सदन की बैठक बुलानी आवश्यक होगी।
- (छ) अभातेयुप द्वारा लिखित स्वीकृति प्राप्त होने पर अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार साधारण सदन का ही होगा। ऐसा निर्णय उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से होगा।

(ज) परिषद् के वार्षिक अधिवेशन में तेरापंथ युवक परिषद्, का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई अथवा 50 जो भी कम हो, वह होगा।

(झ) चुनाव के समय सदस्य की उम्र 45 वर्ष से कम है परंतु आगामी अधिवेशन तक उसकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो भी वह सदस्य पदाधिकारी/कार्यसमिति सदस्य बन सकता है तथा कार्यकाल पूर्ण होने तक शाखा परिषद् का सदस्य समझा जाएगा।

अध्यक्ष बनने के लिए सदस्य को उसी शाखा परिषद् का दो कार्यकाल के कार्यकारिणी सदस्य का या एक कार्यकाल पदाधिकारी का अनुभव होना जरूरी है। कार्यकाल का अर्थ अध्यक्षीय कार्यकाल से (न्यूनतम 11 महीने) रहेगा। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्राप्त अनुभव मान्य नहीं होगा। किसी भी विवाद कि स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

नई परिषद् के गठन के तीन वर्षों तक अध्यक्ष बनने के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

परिसीमन के पश्चात क्षेत्र में परिषद् के गठन के पश्चात भी वर्तमान परिषद् के पदाधिकारी वार्षिक साधारण सदन तक वर्तमान परिषद् के पदाधिकारी बने रहेंगे।

8. पदाधिकारी :-

परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

- (क) अध्यक्ष-एक
- (ख) उपाध्यक्ष (प्रथम)-एक
- (ग) उपाध्यक्ष (द्वितीय)-एक
- (घ) मंत्री-एक
- (ङ) सहमंत्री (प्रथम)-एक
- (च) सहमंत्री (द्वितीय)-एक
- (छ) कोषाध्यक्ष-एक
- (ज) संगठन मंत्री-एक

9. कार्यसमिति :-

(क) परिषद् की कार्यसमिति में कम से कम 13 सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष सहित पूर्व उल्लिखित आठ पदाधिकारी होंगे। (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष-प्रथम,

उपाध्यक्ष-द्वितीय, मंत्री, सहमंत्री-प्रथम, सहमंत्री-द्वितीय, कोषाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री)। अध्यक्ष के अतिरिक्त सात पदाधिकारी एवं अन्य सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। निवर्तमान अध्यक्ष अनिवार्य रूप से कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित रहेगा। कार्यसमिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से शाखा परिषद् का सदस्य होना होगा। कार्यसमिति में कोई स्थान रिक्त होने पर भी वह पूर्णतया गठित समझी जाएगी। केन्द्रीय परिषद् से जुड़े हुए स्थानीय व्यक्ति कार्यसमिति में अनिवार्य रूप से विशेष आमंत्रित/कार्यसमिति सदस्य/प्रभारी/पदाधिकारी/परामर्शक होंगे।

- (ख) निवर्तमान अध्यक्ष एवं केन्द्रीय परिषद् से जुड़े स्थानीय व्यक्ति ही कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं।
- (ग) कार्यसमिति का कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि तक ही होगा।
- (घ) परिषद् के कार्यसमिति सदस्यों की अधिकतम संख्या (विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा) कुल सदस्य संख्या 100 तक होने पर 21 (इक्कीस), 300 तक होने पर 51 (इक्यावन), 500 तक होने पर 61 (इकसठ), 1000 तक होने पर 71 (इकहतर) तथा 1000 से अधिक होने पर 101 (एक सौ एक) हो सकती है।
- (ङ) कार्यसमिति के सभी सदस्यों का, शाखा परिषद् का सदस्य होना अनिवार्य होगा।

10. कार्यसमिति के कर्तव्य और अधिकार :-

- (क) साधारण सभा की बैठकों की दिनांक, समय, स्थान और विषय-सूची निश्चित करना।
- (ख) शाखा परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट व जांच किया हुआ हिसाब-किताब साधारण सदन में रखना व पारित करवा कर अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् को प्रेषित करना।
- (ग) शाखा परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट व उसकी प्रवृत्तियों का बजट पारित करना व प्रवृत्तियों का संचालन करना।
- (घ) शाखा परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भेंट, चन्दा अथवा चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
- (ङ) न्यास गठन हेतु अभातेयुप द्वारा प्रेषित न्यास के गठन को साधारण सदन में पारित कराकर परिषद् के सभी सदस्य उक्त न्यास के न्यासी होंगे। प्रतिवर्ष शाखा परिषद् का अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति तक उक्त न्यास का

- प्रबन्ध न्यासी होगा।
- (च) शाखा परिषद् के कर्मचारियों के सेवा नियम तय करना एवं समयानुसार परिवर्तन करना।
- (छ) शाखा परिषद् के समुचित संचालन हेतु समितियों/उपसमितियों का गठन करना एवं उनके संचालन हेतु नियमोपनियम बनाना।
- (ज) किसी भी बैंक में खाता खोलने एवं बंद करने के सम्बन्ध में निर्णय लेना।
- (झ) शाखा परिषद् के लिए आवश्यकतानुसार अचल सम्पत्ति का क्रय अथवा अन्य चल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करने का निर्णय करना। अचल सम्पत्ति के विक्रय का निर्णय लेने का अधिकार केवल साधारण सदन का होगा एवं इसमें अभातेयुप अध्यक्ष की पूर्व लिखित स्वीकृति अपेक्षित होगी। कार्यसमिति में पारित हुये क्रय-विक्रय के निर्णय को अभातेयुप को आवश्यक रूप से भेजना होगा। अभातेयुप से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार साधारण सभा आयोजित कर विक्रय पर निर्णय करना होगा।
- (ञ) आवश्यकतानुसार राजकीय कार्यालयों, कानूनी अदालतों आदि की कार्यवाही के लिए निर्णय लेना।
- (ट) शाखा परिषद् की कार्यसमिति द्वारा विधान में परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन से सम्बंधित प्रस्ताव पारित होने पर अभातेयुप को भेजना तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर साधारण सदन को भेजना।
- (ठ) केन्द्रीय परिषद् द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना।

11. कार्यकारिणी की बैठक (कार्य प्रणाली) :-

- (क) कार्यसमिति की बैठक की सूचना पत्र सम्प्रेषण की तिथि तथा बैठक की तिथि को छोड़कर कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी। लिखित रूप में सूचना संस्था के नोटिस बोर्ड पर पत्र लगाकर, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सअप के द्वारा, मोबाईल पर टैक्सट मैसेज के द्वारा किसी भी रूप में दी जा सकेगी। सूचना में कार्यसमिति बैठक की तारीख, स्थान, समय और कार्य-सूची का उल्लेख होगा। कार्यक्षम उपस्थिति (कोरम) के अभाव में स्थगित बैठक पूर्व सूचना के अनुसार उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात हो सकेगी। बैठक की कार्यवाही मंत्री द्वारा रजिस्टर में लिखी या लिखवाई जायेगी और अगली बैठक में पारित करवाई जाएगी। आपातकालीन व तत्कालीन आवश्यकता होने पर कार्यसमिति की बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकेगी।

- (ख) कार्यसमिति की बैठक अध्यक्ष से विचार-विमर्श कर मंत्री द्वारा दो माह के अन्तराल में कम से कम एक बार बुलाई जानी आवश्यक होगी। दो बैठकों का अन्तराल 60 (साठ) दिन से अधिक नहीं हो सकता है।
- (ग) कोरम के अभाव में स्थगित बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर निर्णय लिया जा सकेगा जो कि मूल बैठक की कार्य सूची में हो।
- (घ) कार्यसमिति के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह कार्यसमिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित हो। यदि कोई सदस्य (अध्यक्ष को छोड़कर) लगातार 2 बैठकों में बिना अलग से लिखित सूचना दिए अथवा लगातार 3 बैठकों में सूचना देकर भी अनुपस्थित रहता है तो उसका पद स्वतः ही रिक्त माना जायेगा किन्तु अध्यक्ष उन्हें पुनः मनोनीत कर सकता है। लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर किसी भी कार्यसमिति सदस्य को अध्यक्ष भी पुनः मनोनीत नहीं कर सकता है। इस गणना में आपातकालीन या तत्कालीन बैठक शामिल नहीं की जाएगी।
- (ङ) विक्रय से सम्बन्धित विषय पर निर्णय कार्यसमिति में पारित कर अभातेयुप से मार्गदर्शन व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अभातेयुप से स्वीकृति प्राप्त होने पर साधारण सभा आयोजित कर निर्णय करना होगा।

12. कोरम :-

- (क) परिषद् के साधारण सदन की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का $1/3$ भाग या 50 जो भी कम हो, होगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक उसी दिन व उसी स्थान पर आधा घण्टे पश्चात पूर्व सूचना के अनुसार होगी। स्थगित बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का $1/4$ भाग या 30 सदस्य जो भी कम हो, होगा।
- (ख) परिषद् की कार्यसमिति का कोरम संख्या का $1/3$ भाग होगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक उसी दिन, उसी स्थान पर आधा घण्टे पश्चात पूर्व सूचना के अनुसार होगी। स्थगित बैठक का कोरम सदस्य संख्या का $1/4$ भाग होगा।
- (ग) परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलाई गई बैठक का कोरम सदस्य संख्या का $1/3$ भाग या आधा घंटा उपरान्त $1/4$ भाग या 40 सदस्य, इसमें से जो भी कम हो, होगा। अगर वह भी सम्भव नहीं हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त कर चुनाव कराए जाएंगे।

13. अध्यक्ष का चुनाव/मनाव :-

अध्यक्ष की चुनाव प्रणाली निम्न प्रकार है :-

- (क) कार्यसमिति की बैठक में चुनाव अधिकारी के नाम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू मानी जायेगी।
- (ख) अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (ग) नवगठित शाखा परिषद् के अध्यक्ष का कार्यकाल 15 माह तक हो सकता है। 15 मार्च के पश्चात यदि परिषद् का गठन हो तो उस वर्ष में मई-जून माह की बजाय अगले वर्ष के मई-जून माह में चुनाव कराए जा सकते हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (घ) अध्यक्ष का चुनाव साधारण सदन में बहुमत के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।
- (ङ) अध्यक्ष पद पर कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकेगा।
- (च) अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का ब्यसन मुक्त होना आवश्यक है।
- (छ) 31 मार्च तक प्राप्त सदस्यता आवेदन पत्र को 7 अप्रैल तक कार्यसमिति की बैठक आयोजित करवाकर प्राप्त आवेदन पत्र को पारित करवाना होगा। उक्त कार्यसमिति की बैठक तक बने हुए सदस्यों को ही मतदान का अधिकार होगा।
लेकिन 31 मार्च के बाद भी किसी का सदस्यता हेतु सदस्यता आवेदन पत्र परिषद् को प्राप्त होता है तो उसको कार्यसमिति बैठक में पारित किया जा सकता है परन्तु उस सदस्य को साधारण सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा।
- (ज) शाखा परिषद् के सदस्य ही नामांकन पत्र (प्रारूप परिशिष्ट) में प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकते हैं लेकिन वर्तमान अध्यक्ष आगामी कार्यकाल हेतु आवेदित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं होगा।
- (झ) अध्यक्ष पद हेतु एक सदस्य केवल एक ही व्यक्ति के नाम का प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता है।
- (ञ) 31 से अधिक सदस्यों वाली परिषद् में अध्यक्ष पद के नामांकन हेतु कम से कम 5 प्रस्तावक व 5 अनुमोदक अनिवार्य रूप से होने चाहिये।
- (ट) नवगठित शाखा परिषद् के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को स्थानीय परिषद् की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कम से कम दो कार्यकाल अथवा पदाधिकारी के रूप में एक कार्यकाल का अनुभव होना आवश्यक है। विशेष

आमंत्रित सदस्य के रूप में प्राप्त अनुभव मान्य नहीं होगा।

(ठ) साधारण सभा में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा उनका नामांकन पत्र रद्द समझा जाएगा पर सर्वसम्मत नाम वाले प्रत्याशी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं हैं, किन्तु प्रत्याशी की लिखित स्वीकृति अनिवार्य है।

(ड) अध्यक्ष के चुनाव करवाने हेतु कार्यसमिति द्वारा एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव अधिकारी का तेरापंथी होना आवश्यक होगा।

(ढ) बंद लिफाफे पर नामांकन पत्र अंकित कर उसे चुनाव अधिकारी के कार्यालय या अन्य निर्धारित स्थान पर प्रस्तुत करना होगा। नामांकन पत्र के साथ शाखा परिषद् सदस्यता क्रमांक, जन्म तारीख का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आई डी, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की छायाप्रति में से किन्हीं दो) की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी लगाना अनिवार्य है। अन्यथा नामांकन पत्र रद्द समझा जाएगा।

(ण) अध्यक्ष के चुनाव हेतु निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व सायं 5 बजे तक प्राप्त नामांकन पत्र ही मान्य होंगे। नामांकन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं निर्वाचन की तिथि के बीच पूरे तीन दिन का अंतराल होना आवश्यक होगा। जैसे निर्वाचन की तिथि 10 तारीख है तो अंतिम तिथि 6 तारीख होगी।

नामांकन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज के साथ अन्य दस्तावेज जांच के समय अगर चुनाव अधिकारी द्वारा ओरिजनल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा जाये तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को ओरिजनल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नामांकन पत्र रद्द समझा जाएगा। अथवा चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्णय ले सकेगा।

चुनाव अधिकारी को नामांकन पत्रों की जांच करके अगले दिन सायं 5 बजे तक अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की सूची परिषद् के अधिकृत सूचना पट्ट पर अंकित करनी होगी।

(त) अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुनाव प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व सायं 5 बजे तक अपना नाम वापिस ले सकता है। निर्वाचन दिवस एवं नामांकन वापिस लेने के बीच पूरे एक दिन का अन्तराल होना आवश्यक होगा। जैसे निर्वाचन की तिथि 10 तारीख है तो अंतिम तिथि 8 तारीख होगी।

नामांकन पत्र वापस लेने के समय के पश्चात शेष प्रत्याशियों का मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया से मतदान होगा।

- (थ) अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अवधि तक किसी नाम का प्रस्ताव नहीं आता है तो चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा कि साधारण सभा में अध्यक्ष पद के लिए नाम का प्रस्ताव मांगकर एवं अनुमोदित करवाकर निर्वाचन सम्पन्न करें।
- (द) अध्यक्ष के चुनाव के लिए यदि मतदान की आवश्यकता हो तो चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली कराया जाएगा।
- (ध) साधारण सभा की बैठक में कार्य सूची के अन्तर्गत ही अध्यक्ष पद के चुनाव सम्पन्न कराए जायेंगे चुनाव के लिए अलग से कोई अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है।
- (न) चुनाव सम्बन्धित विशेष परिस्थिति में चुनाव अधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्णय देगा, वह निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
- (प) किसी सदस्य की उम्र चुनाव तिथि को 45 वर्ष हो गई है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा तथा वह सदस्य आगामी कार्यसमिति का सदस्य व परिषद् द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम का संयोजक व सहसंयोजक नहीं बन सकेगा।
- (फ) चुनाव अधिकारी को शाखा परिषद् की ओर से अध्यक्ष/मंत्री हस्ताक्षरित सुपुर्द सदस्यता सूची के संदर्भ में अगर किसी सदस्य का नाम उस सदस्यता सूची में नहीं है और वह सदस्य शाखा परिषद् का सदस्य होने का दावा करता है तो उस स्थिति में उस सदस्य को शाखा परिषद् की सदस्यता से सम्बन्धित दस्तावेजों को चुनाव अधिकारी को प्रेषित करना होगा। चुनाव अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेगा। जांच में सही पाये जाने पर चुनाव अधिकारी उस सदस्य को साधारण सदन में वोट देने का अधिकार देगा तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उन सदस्यों की सूची दे दी जायेगी।
- (ब) कार्यसमिति बैठक में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति उपरान्त चुनाव अधिकारी मनोनयन पत्र पर चुनाव अधिकारी की स्वीकृति प्राप्तकर सदस्यता सूची, संविधान की कॉपी व अध्यक्ष पद हेतु आवेदन पत्र चुनाव अधिकारी को बैठक के उपरान्त 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से देनी होगी।
- शाखा परिषद् के 5 सदस्य मिलकर चुनाव अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सदस्यता सूची, संविधान की कॉपी व अध्यक्ष पद हेतु आवेदन पत्र चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर तय स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र मान्य व स्वीकार्य होंगे।
- (भ) मतदान के समय सभी सदस्यों को अपना पहचान पत्र अवश्य साथ लाना

होगा। सदस्य के पहचान पत्र व शाखा परिषद् की सदस्यता सूची में अंकित जन्मतिथि में भिन्नता पाये जाने पर सदस्य के ओरिजनल दस्तावेज पर अंकित जन्मतिथि को चुनाव अधिकारी द्वारा वरीयता दी जायेगी

14. अध्यक्ष की पद-मुक्ति :-

निम्न स्थितियों में अध्यक्ष का पद रिक्त माना जायेगा।

(क) स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर।

(ख) अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर तथा अभातेयुप द्वारा अनुमोदित होने पर।

(ग) राष्ट्रीय अध्यक्ष के संवैधानिक निर्देशों की पालना नहीं करने तथा परिषद् विरोधी कार्य करने पर।

(घ) व्यसन युक्त होने पर।

14A. परिषद् में अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष (प्रथम) अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा। अध्यक्ष का पद रिक्त होने के साठ दिन के भीतर अध्यक्ष के चुनाव हेतु साधारण सदन की विशेष बैठक बुलाई जानी आवश्यक है।

15. अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव व उसे हटाना :-

(क) अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव विचारार्थ तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह प्रस्ताव शाखा परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम एक चौथाई ($1/4$) भाग द्वारा लिखित में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए उपस्थित सदस्यों का $2/3$ बहुमत आवश्यक होगा। तथापि यह सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या की $1/2$ से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर उपाध्यक्ष प्रथम, अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेगा।

(घ) यदि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो एक बार अस्वीकृत होने के बाद छः माह तक नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

16. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) शाखा परिषद् के साधारण सदन, विशेष साधारण सदन तथा कार्यसमिति एवं अन्य बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ख) विधान के नियमों की व्याख्या करना, निर्णय देना तथा वैधानिक आपत्तियों को निपटाना।

- (ग) परिषद् की प्रवृत्तियों का उत्तरदायित्व निभाना।
- (घ) बजट के उपरांत पचास हजार रूपये तक आकस्मिक व्यय करना।
- (ङ) पदाधिकारीगण, प्रभारीगण, कार्यसमिति एवं उपसमिति के सदस्यों को मनोनीत करना। उक्त सभी सदस्य अनिवार्य रूप से शाखा परिषद् के सदस्य होने चाहिए।
- (छ) अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् से प्राप्त निर्देशों का पालन करने की जवाबदेही अध्यक्ष की होगी।
- (ज) पदाधिकारियों, प्रभारियों, कार्यसमिति तथा उपसमितियों के सदस्यों से त्यागपत्र मांगना, त्याग पत्र स्वीकृत करना तथा उन्हें पद मुक्त करना।

17. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (क) उपाध्यक्ष (प्रथम), अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा।
- (ख) उपाध्यक्ष (द्वितीय), अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (प्रथम) की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा।

18. मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (क) शाखा परिषद् के कार्य सम्पादन करने के लिए संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- (ख) शाखा परिषद् की सभी बैठकों का कार्य विवरण कार्यवाही रजिस्ट्रों में लिपिबद्ध कराना व अगली बैठक में वाचन कर उसे पारित कराना।
- (ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्राप्त सभी निर्देश, सुझाव व सूचनाएं शाखा परिषद् की कार्यसमिति में प्रस्तुत करना।
- (घ) शाखा परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट तथा बजट तैयार कर कार्यसमिति में प्रस्तुत करना।
- (ङ) अध्यक्ष के निर्देश से बैठक बुलाना, सूचना निकालना।
- (च) शाखा परिषद् की ओर से पत्र व्यवहार करना। कार्यालय की देख-रेख व रिकॉर्ड आदि को सुरक्षित रखना।
- (छ) सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों व अन्य क्षेत्रों में परिषद् का प्रतिनिधित्व करना व शाखा परिषद् की ओर से पत्र व्यवहार करना तथा कार्यालय की देख-रेख व रिकॉर्ड आदि को सुरक्षित रखना।
- (ज) कार्यसमिति के निर्देशानुसार विभिन्न अदालती कार्यवाहियों का संचालन करना एवं आवश्यक होने पर वकील आदि की नियुक्ति करना।
- (झ) संस्था की ओर से सामान खरीदना, बनवाना तथा अन्य प्रकार के आर्थिक

लेन-देन करना।

(ज) आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति करना।

(ट) सम्पूर्ण वर्ष का कार्य विवरण केन्द्रीय परिषद् को मूल्यांकन हेतु भेजना।

19. सहमंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) मंत्री के प्रत्येक कार्य में सहयोग करना।

(ख) अध्यक्ष या कार्यसमिति द्वारा कोई विशेष जिम्मेदारी देने पर उसका उत्तरदायित्व निभाना।

(ग) मंत्री की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करना।

(घ) मंत्री की जगह प्रतिनिधित्व करने में सहमंत्री (प्रथम), सहमंत्री (द्वितीय) से वरियता में वरिष्ठ माना जाएगा।

20. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) शाखा परिषद् का विधिवत हिसाब-किताब रखना।

(ख) बजट को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष एवं मंत्री द्वारा अनुमोदित किए हुए वाउचरों का भुगतान करना।

(ग) अध्यक्ष की आज्ञा से या आवश्यकतानुसार मंत्री आदि को बीस हजार रुपये तक की राशि हलायती देना तथा उसका हिसाब मांगना।

(घ) हिसाब की बहियों तथा रजिस्टर आदि का हिसा-परीक्षक द्वारा जांच करवाना।

(ङ) लेखा-परीक्षक/अंकेक्षक द्वारा जाँच किए हुए आय-व्यय विवरण तथा संतुलन पत्रक को कार्यसमिति तथा साधारण सदन की बैठक में रखना।

21. संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

(क) चन्दा, शुल्क, अनुदान, सहायता, राजकीय अनुदान व विशेष आयोजन उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयद्वत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

(ख) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही बैंक से लेन-देन किया जा सकेगा।

22. संगठन मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) अध्यक्ष के निर्देश से शाखा परिषद् के संगठन संबंधी सदस्यता अभियान कार्यों को देखना।

(ख) शाखा परिषद् की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।

(ग) युवा वाहिनी का संयोजन करना।

22अ. किशोर मण्डल :-

किसी भी स्थानीय शाखा परिषद् में 10 से अधिक तेरापंथी किशोर सदस्य बनते हों, वहां अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् के संविधान की धारा 7A के अंतर्गत स्थानीय शाखा परिषद् के अंतर्गत 'तेरापंथ किशोर मण्डल' का गठन किया जा सकता है (किशोर मण्डल प्रारूप परिशिष्ट में)।

23. समितियां :-

- (क) शाखा परिषद् के कार्य संचालन हेतु समय-समय पर समितियों का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा। समिति का कार्यकाल अध्यक्षीय कार्यकाल तक ही होगा।
- (ख) अध्यक्ष एवं मंत्री प्रत्येक समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (ग) समिति के प्रभारी एवं सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष करेगा।

24. परामर्शक मण्डल :-

शाखा परिषद् के पथ प्रदर्शन एवं उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु अध्यक्ष द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से तेरापंथ समाज के अधिकतम दस विशिष्ट व्यक्तियों का एक परामर्शक मण्डल गठित किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार उनको कार्यसमिति की बैठक एवं साधारण सदन में आमंत्रित किया जा सकेगा परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। स्थानीय शाखा परिषद् के सदस्य होने की स्थिति में वह साधारण सदन तथा विशेष साधारण सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

25. हिसाब-परीक्षक :-

हिसाब-परीक्षक/अंकेक्षक की नियुक्ति प्रतिवर्ष साधारण सदन द्वारा की जायेगी। हिसाब-परीक्षक शाखा परिषद् के आय-व्यय का हिसाब, वाउचरों आदि की जांच-पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट के साथ संतुलन-पत्रक तैयार करेगा जो कमियां होगी उनको बतलाएगा एवं सुझाव देकर कमियों की पूर्ति करायेगा।

26. शाखा परिषद् का निरस्तीकरण/निलम्बन :-

निम्नलिखित में से किसी एक कारण से केन्द्रीय परिषद् शाखा परिषद् की सदस्यता को निरस्त/निलम्बित कर सकती है।

- (क) केन्द्रीय परिषद् के संविधान के अनुरूप पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराने पर।
- (ख) केन्द्रीय परिषद् विरोधी कार्य करने पर।
- (ग) शाखा परिषदों के लिये स्वीकृत संविधान का उल्लंघन करने पर।
- (घ) केन्द्रीय वार्षिक अधिवेशनों में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहने पर।
- (ङ) शाखा परिषद् में विवाद की स्थिति होने पर केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त

पर्यवेक्षक या पंचमण्डल के निर्णय की अवहेलना होने पर।

(च) निरस्त/निलम्बित शाखा परिषद् के पुनर्गठन व निलम्बन वापिस लेने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा।

27. शाखा परिषद् की आय व सम्पत्ति का उपयोग :-

(क) शाखा परिषद् की आय व सम्पत्ति का उपयोग उसके उद्देश्यों की पूर्ति में ही होगा। यह नियम शाखा परिषद् के किसी अधिकारी, सदस्य, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की सेवा और श्रम के उपलक्ष्य में दिये जाने वाले वेतन, पारितोषिक, पदक आदि में बाधक नहीं होगा।

(ख) किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट यदि 10 लाख रुपये से ज्यादा होगा तो उसके आयोजन के लिए अभातेयुप से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्वीकृति प्राप्त न होने पर अगर 10 लाख से ऊपर कार्यक्रम का बजट हो जाता है तो उस परिषद् को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ग) शाखा परिषदों में परिसीमन के कारण होने वाले विस्तार पर वर्तमान परिषद् के समस्त चल सम्पत्ति का अभातेयुप के मार्गदर्शन में स्थानीय परिषदों में वितरण किया जा सकेगा।

28. संविधान संशोधन :-

इस विधान के किसी नियम को हटाने, उसमें परिवर्तन करने, परिवर्धन और संशोधन करने के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय परिषद् को भेजना होगा। यह संविधान दिनांक 29 सितम्बर 2018 से प्रभावी माना जायेगा।

हम निम्नलिखित पदाधिकारी प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त संविधान व नियमोपनियम अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्, लाडनूँ द्वारा सभी शाखा परिषदों के लिए स्वीकृत संविधान व नियमोपनियम की सही संशोधित प्रति है।

विमल कटारिया
अध्यक्ष

संदीप कोठारी
महामंत्री

पवन मांडोत
संगठन मंत्री

29 सितम्बर 2018, चेन्नई

पंजीयन आवेदन पत्र

तेरापंथ युवक परिषद्
पंजीयन आवेदन-पत्र

दिनांक :

सेवा में,

महामंत्री

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्
लाडनूं।

मान्यवर महोदय,

हमारी परिषद् ने अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् द्वारा शाखा परिषदों के लिए निर्धारित विधान एवम् नियमोपनियम सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिए हैं। अतएव हमारी परिषद् को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की शाखा के रूप में नियमानुसार पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करें।

पंजीयन शुल्क निम्नानुसार संलग्न है :-

प्रवेश शुल्क : 5100/- (पांच हजार एक सौ रुपये मात्र)

पंजीयन शुल्क :

कुल

निवेदक

.....
(मंत्री)

.....
(अध्यक्ष)

पंजीयन शुल्क इस प्रकार देय होगा

शाखा परिषद् की कुल सदस्य संख्या 100 तक होने पर 500 रुपये। सदस्य संख्या 300 तक होने पर 1500 रुपये एवं सदस्य संख्या 500 तक होने पर 2500 रुपये। सदस्य संख्या 1000 तक होने पर 5000 रुपये एवं 1000 से अधिक होने पर 11000 रुपये।

किशोर मण्डल पंजीयन आवेदन

तेरापंथ किशोर मण्डल,

संचालक : तेरापंथ युवक परिषद्,

Address

Phone No. Email :

दिनांक :

सेवा में,

महामंत्री महोदय

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्, लाडनूं।

मान्यवर महोदय,

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् द्वारा शाखा परिषदों के अंतर्गत संचालित किशोर मण्डल के अंतर्गत हमारी परिषद् द्वारा तेरापंथ किशोर मण्डल का संचालन किया जा रहा है। अतएव हमारे किशोर मण्डल को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् के किशोर मण्डल की शाखा के रूप में नियमानुसार पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करें।

किशोर मण्डल की सदस्य संख्या :

संयोजक का नाम:

जन्म तिथि ब्लड ग्रुप

पता :

..... पिनकोड

फोन : (STD Code) कार्यालय निवास

ई-मेल मोबाइल

उपयुक्त पंजीयन शुल्क निम्नानुसार संलग्न है :-

प्रवेश शुल्क : ₹ 500/- (पांच सौ रुपये मात्र)

पंजीयन शुल्क : ₹ 200/- (दो सौ रुपये मात्र)

कुल : ₹ 700/- (सात सौ रुपये मात्र)

निवेदक

(अध्यक्ष)

(मंत्री)

नोट : किशोर मण्डल की स्थापना- किसी भी ग्राम, नगर अथवा क्षेत्र में, जहां 10 से अधिक तेरापंथी किशोर सदस्य बनते हों, वहां स्थानीय शाखा परिषद् के अंतर्गत "तेरापंथ किशोर मण्डल" के नाम से गठित किया जा सकता है।

तेरापंथ किशोर मण्डल का प्रारूप

तेरापंथ समाज के किशोर वर्ग के सदस्यों को एक मंच पर एकत्रित करने के उद्देश्य से तेरापंथ युवक परिषद् के तत्वावधान में एक मंच का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है-तेरापंथ किशोर मंडल। तेरापंथ किशोर मंडल के लिए निर्धारित नियमावली इस प्रकार है :-

1. **नाम** :- इस मंच का नाम तेरापंथ किशोर मंडल रहेगा।
2. **कार्यालय** :- इस मंडल का कार्यालय में रहेगा।
3. **संगठन एवं नियंत्रण** :- यह मंडल तेरापंथ युवक परिषद् के निर्देशानुसार अपने कार्यक्रम आयोजित करेगा।
4. **उद्देश्य** :- इस मण्डल के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
 - (अ) समाज के किशोरों को संस्कारित एवं संगठित करना।
 - (ब) परस्पर सौहार्द, स्नेह एवं एकसूत्रता की भावना का विकास करना।
 - (स) किशोरों में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रचनात्मक एवं शारीरिक विकास की प्रवृत्तियों का संचालन करना।
 - (द) जन सेवा की विभिन्न प्रवृत्तियों में सहयोग करना।
 - (इ) समाज के किशोरों के लिए व्यक्तित्व विकास मूलक प्रवृत्तियों का संचालन करना।
5. **उद्घोष** :- तेरापंथ युवक परिषद् का उद्घोष ही मंडल का उद्घोष होगा।
6. **सदस्यता** :- कोई भी तेरापंथी किशोर निर्धारित सदस्यता राशि देकर मंडल का सदस्य बन सकता है।
7. **शुल्क** :- तेरापंथ किशोर मंडल का सदस्यता शुल्क क्षेत्र के अनुसार तय किया जा सकता है।
8. **पदाधिकारी** :- (अ) तेरापंथ किशोर मंडल के संयोजक का चयन तेरापंथ किशोर मंडल के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से होगा अन्यथा किशोर मण्डल के प्रभारी की सलाह से तेयुप के अध्यक्ष द्वारा होगा।
(आ) संयोजक को एक सह-संयोजक एवं अधिकतम पांच सहयोगी साथी के रूप में सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार होगा।
9. **आयु सीमा** :- तेरापंथ किशोर मंडल के सदस्यों की आयु सीमा 15 वर्ष से 21 वर्ष तक की है।
10. **आर्थिक व्यवस्था** :- तेरापंथ किशोर मंडल के कार्यक्रम संचालन के लिए आर्थिक जिम्मेदारी तेरापंथ युवक परिषद् की रहेगी। सदस्यता शुल्क तेयुप को जमा कराना होगा।

11. **समन्वय** :- तेरापंथ युवक परिषद् की कार्यकारिणी में तेरापंथ किशोर मंडल का संयोजक एवं तेरापंथ किशोर मंडल की कार्यसमिति में तेयुप अध्यक्ष या किशोर मंडल प्रभारी पदेन रूप से विशेष आमंत्रित होंगे।
12. **विभिन्न कार्यक्रम** :-
 - (अ) प्रेक्षा संस्कार केन्द्र एवं ज्ञानशाला के संचालन में सहयोग।
 - (ब) जीवन विज्ञान कार्यक्रमों में सहभागिता।
 - (स) भजन मण्डली में सहभागिता।
 - (द) तत्त्व ज्ञान, भाषण, संगीत एवं प्रश्नमंच प्रतियोगिताओं का आयोजन।
 - (इ) व्यक्तित्व विकास मूलक प्रवृत्तियों का आयोजन एवं सहभागिता।
 - (ध) खेलकूद प्रतियोगिताएं।
 - (ज) केरीयर गाइडेन्स कार्यशालाओं का आयोजन
13. **कार्यकाल** :- संयोजक एवं कार्यसमिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
14. अभातेयुप द्वारा निर्देशित कार्यों में तेरापंथ युवक परिषद् के सहयोगी के रूप में कार्यरत होना होगा।
15. **गणवेश** :- किशोर मंडल के सदस्यों का गणवेश सफेद रंग का रहेगा, जिसे वह मंडल के कार्यक्रमों में धारण करेंगे।

किशोर मंडल सदस्य आचार संहिता

1. मैं प्रतिदिन कम से कम 21 बार नमस्कार महामंत्र का जप करूंगा।
2. मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, खान-पान की शुद्धि बनाए रखूंगा।
3. मैं पद लिप्सा से दूर रहकर मंडल के विकास के लिए सतत् जागरूक रहूंगा।
4. मैं संघ एवं संघपति के प्रति पूर्ण समर्पित रहूंगा।
5. मैं तेरापंथ धर्मसंघ की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रवृत्ति करूंगा।
6. मैं अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव रखूंगा।
7. मैं अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक रहूंगा।

शपथ का प्रारूप

मैं (नाम) चतुर्विध धर्मसंघ को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं तेरापंथ किशोर मंडल के के रूप में मंडल के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं सदस्य आचार संहिता में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं संघ की गरिमा के अनुरूप सारे कार्य करूंगा।

सेवा में
निर्वाचन अधिकारी
तेरापंथ युवक परिषद,

प्रस्ताव

हम तेरापंथ युवक परिषद, के सत्र के लिए अध्यक्ष पद हेतु श्रीसुपुत्र श्री का नाम प्रस्तावित करते हैं।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

- | | | |
|----|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

अनुमोदन

हम तेरापंथ युवक परिषद, के सत्र के लिए अध्यक्ष पद हेतु श्रीसुपुत्र श्री के नाम के उपरोक्त प्रस्ताव की अनुमोदना करते हैं।

अनुमोदक का नाम

अनुमोदक के हस्ताक्षर

- | | | |
|----|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

स्वीकृति

मैं सुपुत्र श्री
तेरापंथ युवक परिषद्, के सत्र के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। मैंने वर्ष एवं में तेरापंथ युवक परिषद् के कार्यसमिति में (कम से कम दो पूर्ण कार्यकाल) अथवा वर्ष में पद (कम से कम एक पूर्ण कार्यकाल) के दायित्व निर्वहन किया है। मेरी जन्म तारीख (दिनांक) (महीना) (वर्ष) है। जन्म तारीख प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की छायाप्रति में से किन्हीं दो) की प्रतिलिपि संलग्न है।

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि मुझे जैन धर्म एवं तेरापंथ सम्प्रदाय की सामान्य जानकारी है तथा मैं सम्पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हूँ।

उम्मीदवार का पता एवं मोबाईल नं :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी का नाम व पता :

.....

निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी

जाँच दिनांक नामांकन पत्र वैध/अवैध है।

अवैध घोषित करने के कारण :

.....

नोट: 31 सदस्यों तक की शाखा परिषदों के लिए एक प्रस्तावक एवं एक अनुमोदक की आवश्यकता है।

शाखा परिषद्-चुनाव/मनाव-आचार संहिता

- चुनाव प्रचार के दौरान अध्यक्ष पद प्रत्याशी द्वारा निजी रूप से आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएं, जिससे समाज में बयानबाजी, गुटबाजी तथा द्वेषभावना का संचार हो।
- यदि किसी प्रत्याशी द्वारा ऐसे आरोपों का सहारा लिया जाता है तो चुनाव अधिकारी द्वारा चेतावनी जारी की जा सकती है।
- चुनाव अधिकारी के चेतावनी के बावजूद भी यदि बयानबाजी जारी रहती है तो चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रत्याशी पर कार्यवाही कर सकता है।
- प्रचार के दौरान प्रिन्ट मीडिया, पेम्पलेट, बैनर आदि का उपयोग सर्वथा वर्जित है।
- सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएं।
- प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार का भोज/पार्टी आदि गतिविधियां नहीं कर सकता है। ऐसी शिकायत पाई जाती है तो चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रत्याशी पर कार्यवाही कर सकता है।

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् लाडनूँ

शाखा परिषदों द्वारा सदस्यता ग्रहण का संकल्प

हम तेरापंथ युवक परिषद् के निम्न पदाधिकारी यह घोषणा करते हैं कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् की शाखा के रूप में पंजीकृत होने पर हमारी परिषद् को उपरोक्त संविधान व नियमोपनियम अक्षरशः स्वीकार्य है तथा भविष्य में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् द्वारा इसमें किए गए संशोधन हमें स्वीकार्य होंगे।

.....
(पदनाम सहित कोई
अन्य अधिकारी)

.....
मंत्री

.....
अध्यक्ष

तेरापंथ युवक परिषद् (शाखा का नाम)

दिनांक:

मोहर

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 588/83-84 19

यह प्रमाणित किया जाता है कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्, लाडनूं जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तीस, माह मार्च, सन् एक हजार नौ सौ चौरासी को जयपुर में दिया गया।

दिनांक 30-03-84

कार्यालय
सील

sd/-

टी. एन. माथुर

रजिस्ट्रार, संस्थाएं, राजस्थान
जयपुर।

ISO 9001 : 2015



Registration Certificate

This is to certify that
The Quality Management Systems
of

**AKHIL BHARTIYA TERAPANATH YUVAK
PARISHAD**

Carried out at following site:

**REG. OFFICE: YUVALOK, POST BOX NO. 16,
LADNUN - 341306 (RAJSTHAN) (INDIA)**

&

**ADMIN OFFICE: 210, 3RD FLOOR, DEENDAYAL UPADHYAY MARG,
NEW DELHI - 110002 (INDIA)**

for their

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

Scope of Activities covered by this Certificate:

**PROVIDING SOCIAL SERVICE SUCH AS "BLOOD DONATION CAMPS, AWARENESS
PROGRAM FOR EYE DONATION, DRUGS DE - ADICTION, ORGAN DONATION,
FREE HEALTH CHECK - UP CAMPS, FREE EYE CHECK - UP CAMPS AND SURGERY
ASSISTANCE TO NEEDY, HOSTEL FOR STUDENTS**

CERTIFICATE NO. : IAS/QMS/D1257

ISSUED ON : 13/03/2019


1ST SURVEILLANCE DUE ON: 13/02/2020

VALIDITY DATE : 12/03/2022

2ND SURVEILLANCE DUE ON: 13/02/2021

THE VALIDITY OF CERTIFICATE IS SUBJECT TO REGULAR SURVEILLANCE AUDIT ON OR
BEFORE ABOVE MENTIONED DATES AND IT'S ONLY VALID AFTER SUCCESSFUL
SURVEILLANCE WITH CONTINUATION LETTER ISSUED BY CCPL

TO VERIFY THIS CERTIFICATE STATUS PLEASE VISIT AT <http://ccpl.carecertification.com/>


AUTHORISED BY
CHAIRMAN / DIRECTOR

CARE CERTIFICATION PRIVATE LIMITED

THIS IS SINGLE-SITE CERTIFICATION
WWW.CARECERTIFICATION.COM



ACCREDITED
Management
Systems
Certification Body

ACC NO. MSCB-120



U.K. OFFICE : · KEMP HOUSE, 160 CITY ROAD, LONDON, EC1V2NX, UNITED KINGDOM
INDIA OFFICE : · 134 - A, 2ND FLOOR, TAIMOOR NAGAR, N.F.C., NEW DELHI - 110 065

THE CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CCPL AS PER CERTIFICATION AUDIT CONTRACT

CCPL is accredited by International Accreditation Service (IAS) United States of America





प्रकाशक

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्

'युवालोक', पो. बॉ. नं. 16, लाडनूं-341306 (राज.)

www.abtyp.com

नूतन चिन्तन नया विकास, युवकों में जागे विश्वास